

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-687 / 2012

संस्थित दिनांक-28.08.2012

फाई.क.-234503000052012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

मोहित धुर्वे पिता दयालु धुर्वे, उम्र-31 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम झलमला, थाना चिल्पी,  
 तहसील बाडला, जिला कवर्धा (छ.ग.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-29/08/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304ए एवं मो.यान. अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-13.05.2012 को समय करीब 16:50 बजे ग्राम छपला से एक किलोमीटर आगे, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर हीरो होण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.बी-3352 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक सुमेरीसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, उक्त वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस एवं बिना वैध बीमा के चलाया था।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि जब दिनांक 13.05.2012 को किरण किरो थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे तब उन्हें सी.एच.सी. बिरसा अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर उनके द्वारा जांच की गयी थी। जांच में परसुसिंह एवं बालसिंह के कथन लिये गए थे, जिन्होंने बताया था कि घटना दिनांक को मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.बी-3352 के चालक द्वारा मोटरसाईकिल को तेजगति लापरवाही से चलाकर सामने से टक्कर मारकर

एक्सीडेंट कर चोट पहुंचायी थी, जिससे मोटरसाईकिल क्र. सी.जी-09/डी-3857 के चालक सुमेरी के चेहरे पर चोट लगी थी उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस थाना बिरसा द्वारा मृतक सुमेरीसिंह का शव परीक्षण कराकर अनुसंधान के उपरान्त अपराध क्रमांक-62/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-13.05.2012 को समय करीब 16:50 बजे ग्राम छपला से एक किलोमीटर आगे, थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर हीरो होण्डा मोटरसाईकिल क्र0.-एम.पी-50/एम.बी-3352 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक सुमेरीसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस एवं बिना वैध बीमा के चलाया था ?

### विवचेना एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिंदु क्रमांक-01 एवं 02 का निराकरण:-

6- साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- परसुसिंह मरावी अ.सा.3 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है।

मृतक सुमेरी उसका भाई था। घटना वर्ष 2012 की है। घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को पता चला था कि उसका भाई सुमेरीसिंह अस्पताल में भर्ती है। उसके भाई का एक्सीडेंट मोहित धुर्वे की गाड़ी से हुआ था। साक्षी को उसका भाई अस्पताल में मृत मिला था। साक्षी के भाई की मृत्यु किस कारण से हुई थी एवं किसकी गलती से हुई थी साक्षी को पता नहीं है। साक्षी को गाड़ी का नम्बर भी याद नहीं है। उक्त साक्षी की निशांदेही पर प्र.पी.03 का मौकानक्शा एवं मृतक के फौत होने के स्थान का मौकानक्शा प्र.पी.04 पुलिस ने नहीं बनाया था। पुलिस ने मृतक सुमेरीसिंह की मृत्यु के संबंध में गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार किये थे जो प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 हैं। पुलिस ने घटना के बारे में साक्षी के बयान लिये थे। प्र.पी.03, प्र.पी.04 के मौकानक्शा एवं प्र.पी.05 के पंचायतनामा, प्र.पी.06 के नक्शा पंचायतनामा पर क्रमशः ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के दस्तावेजों पर थाने में हस्ताक्षर किये थे, घटनास्थल पर नहीं किये थे। उक्त दस्तावेजों पर साक्षी ने पढ़कर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना की जानकारी मिलने पर वह अस्पताल गया था, वह घटनास्थल पर नहीं गया था। साक्षी ने घटना नहीं देखी थी।

8— बालसिंह अ.सा.04 का कथन है कि उसे एक्सीडेंट की खबर मिली थी तब वह अस्पताल गया था। साक्षी पुलिस के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था। पुलिस ने साक्षी की निशांदेही से प्र.पी.07 का मौकानक्शा नहीं बनाया था। पुलिस ने सुमेरीसिंह की मृत्यु के संबंध में पंचनामा तैयार किये थे जो प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.बी-3352 को तेजगति लापरवाहीपूर्वक चलाकर साक्षी के चाचा सुमेरीसिंह को घायल कर दिया था। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसने बिरसा अस्पताल में उसके चाचा की उपचार के समय मृत्यु होना बताया था। साक्षी ने पुलिस के कहने पर प्र.पी.07 के मौकानक्शा पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। घटना किसकी गलती से हुई थी साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने सभी दस्तावेजों पर पुलिस के

कहने पर थाने में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने घटनास्थल पर जाकर पुलिस को घटनास्थल का मौकानक्शा नहीं बताया था एवं मौकानक्शा पर हस्ताक्षर भी नहीं किये थे।

9— रवनूसिंह धुर्वे अ.सा.02 का कथन है कि वह घटना दिनांक को पुलिस थाना बिरसा में वायरलेस ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर क्या जप्त हुआ था उसे पता नहीं है। साक्षी ने थाना बिरसा में पुलिस के कहने पर प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटना दिनांक को घटनास्थल से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.-3352 को जप्त की थी एवं साक्षी को पुलिस ने बताया था कि जप्ती की कार्यवाही प्र.पी.02 के अनुसार कर रहे हैं तब साक्षी ने जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि साक्षी घटनास्थल पर नहीं गया था। साक्षी ने प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा पर थाने पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पढ़कर नहीं देखा था एवं पुलिस ने भी साक्षी को प्र.पी.02 का जप्ती पंचनामा पढ़कर नहीं सुनाया था। इस साक्षी ने प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

10— राजेन्द्र अ.सा.06 का कहना है कि उसके समक्ष अभियुक्त से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी एवं अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जप्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी के पंचनामा पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प.पी.10 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.11 को पढ़कर नहीं देखा था एवं पुलिस ने पढ़कर नहीं सुनाया था। पुलिस के कहने पर साक्षी ने हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.11 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

11— अब्दुल नसीम अ.सा.05 का कथन है कि उसने न्यायालयीन कथनों से चार-पांच वर्ष पूर्व सी.डी.डिलक्स वाहन का परीक्षण किया था। वाहन में क्या



टूट-फूट हुई थी उसे पता नहीं है। वाहन की टूटफूट का नुकसानी पंचनामा पुलिस ने इस साक्षी के समक्ष बनाया था जो प्र.पी.08 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया है कि उसे पता नहीं है कि उसने जिस वाहन का परीक्षण किया था उसका क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.-3352 है। वाहन में जो टूटफूट हुई थी उसके बारे में साक्षी ने मैकेनिकल परीक्षण के समय बताया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि उसने अनुभव के आधार पर परीक्षण किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.08 का नुकसानी पंचनामा पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्र.पी.08 का नुकसानी पंचनामा किस संबंध में बनाया गया था। साक्षी ने मैकेनिकल परीक्षण के समय वाहन को चलाकर नहीं देखा था। अब्दुल नसीम की साक्ष्य से इस बात का समर्थन नहीं होता है कि घटना कारित करने वाले वाहन में उसने किसी प्रकार की खराबी पायी थी।

12— एम.के.मेश्राम अ.सा.01 का कथन है कि वह दिनांक 14.05.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बिरसा से आरक्षक संतोष क्रमांक 982 मृतक सुनेरीसिंह के शव को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। शव की पहचान मृतक के पुत्र बालसिंह एवं चचेरे भाई पंचू द्वारा की थी। चिकित्सक के मेडिकल परीक्षण के समय मृतक की आंख एवं मुह बंद थे। मृतक के शरीर पर इस साक्षी ने निम्न उपहतियां पायी थीं— चोट क01 बायीं आंख की भौंह से लेकर दायीं आंख की भौंह तक एक कटीफटी चोट जिसका आकार 3 इंच गुणा एक इंच की थी। चोट क02 दाहिने आंख के बाहरी भाग से लेकर दाहिने होंठ के ऊपर तक एक कटीफटी चोट जिसका आकार तीन इंच गुणा ढेड इंच गुणा ढेड इंच की पायी थीं। चोट क03 माथे के मध्य भाग पर एक कटीफटी चोट जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच गुणा आधा इंच की थी। चोट क04 दाहिने पैर पर एक कटीफटी चोट जिसका आकार दो सही पौने तीन गुणा सवा इंच गुणा ढेड इंच की थी जिसमें से होकर टीबिया एवं फिबुला हड्डी टूटकर बाहर आ गयी थी। चोट क05 दाहिने घुटने पर एक खरोंच जिसका आकार पौने इंच गुणा पौने इंच की थी। चोट क06 बायीं कोहनी पर बहुत सारी खरोंच थी। शव का आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक के शरीर गर्दन पर गांठ का निशान, पेरिकाडियन दोनो फुफुस

वृहद वाहिका पर्दा, आतों की झिल्ली, मुह तथा ग्रासनली मूत्राशय, भीतरी तथा बाहरी जनेन्द्रियां हड्डी का सरकना बीमारी की विकृति आदि स्वस्थ पाये गये थे। 02 खोपड़ी पर पाई गई चोट क्र01 एवं 03 के नीचे खून के थक्के जमे थे। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जू दोनों गुर्दे स्वस्थ थे किन्तु पीलापन लिये हुए थे। दाहिनी छाती की बाहरी ओर की आठवी लगायत ग्यारहवी तक की पसली टूटी हुई थी। हृदय का बाया कक्ष एवं पक्वर्ड चोट थी जिसमें खून बह रहा था तथा हृदय के दोनो कक्ष खाली थे। बड़ी आंत पर मल भरा हुआ था। यकृत के दाहिने भाग पर छः इंच गुणा तीन इंच गुणा पौन इंच की चोट थी। प्लीहा पूरी तरह से छतविछप्त थी। साक्षी के मतानुसार चोट क्र01 से छः दाहिने छाती की छः, आठ लगायत ग्यारह तक की पसलियों का टूटना। बायें हृदय के बाये भाग का पक्वर्ड होना। यकृत के दाहिने भाग एवं तिल्ली का छत विछप्त होना आदि सभी चोट मृत्यु के पूर्व की थी तथा किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु के तेज प्रहार अथवा रोड एक्सीडेंट से आना प्रतीत होती थी। चोटों से संविच्छेदन का समय 12 घण्टे से ज्यादा एवं 24 घण्टे के अंदर की थी। मृत्यु के संबंध में चिकित्सक ने उनके अभिमत में बताया था कि मृतक की मृत्यु का कारण सिनकोप था जो हृदय के बायें भाग के पक्वर्ड होने एवं तिल्ली के फटने के फलस्वरूप हुए अत्यधिक रक्त स्राव के कारण हुआ था। चिकित्सक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। चिकित्सक ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि यदि स्वयं के द्वारा वाहन चलाकर दुर्घटना हो जाये तो उक्त प्रकार की चोट आ सकती है।

13— प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रकरण के साक्षी परसुसिंह मेरावी अ.सा.03, बालसिंह अ.सा.04 ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित कर यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.-3352 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था। प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्षी में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.-3352 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक सुमेरीसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की थी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी सम्पूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। प्रकरण में जिन साक्षीगण की साक्ष्य नहीं हुई है वह साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से विचारणीय बिंदु क्रमांक 01 एवं 02 की घटना का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.-3352 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कर मृतक सुमेरीसिंह को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की थी, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

### **विचारणीय बिंदु क्रमांक-03 का निराकरण:-**

14- प्रकरण में किसी भी साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 50/एम.बी.-3352 को चला रहा था। अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अभियोजन पक्ष प्रकरण के विवेचक एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य कराने में असफल रहा है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस एवं बिना वैध बीमा के चलाया था।

15- प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304ए एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 का आरोप को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 304ए एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा- 3/181, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17- अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा सी.डी.डिलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.-3352 आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। प्रकरण में वाहन क्र.एम. पी.50/एम.बी.-3352 का रजिस्ट्रेशन संलग्न है। उक्त रजिस्ट्रेशन उसके पंजीकृत स्वामी को दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर जिला-बालाघाट